न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–सतना

रेस्टो० 1418-II-15

1– यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरजा प्रताप सिंह परिहार

2– यतेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह परिहार, निवासीगण– कचनार तहसील नागौद जिला–सतना (म.प्र.)

.... प्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 8.6.15 को प्रस्तुत

8.6.15

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, सतना (म.प्र.)

2– अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला–सतना (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थीगण

म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन–पत्र

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, प्रार्थीगण का प्रकरण क्रमांक 2488–I/2012 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक .03.2015 को नियत था।

2– यहकि, नियत दिनांक .03.2015 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। प्रार्थी अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त् था इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक .03.2015 को उपस्थित नहीं हो सका। और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई के तीसरे सप्ताह में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना पलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से यह आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3– यहकि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि आवेदक स्वीकार प्रकरण क्रमांक 2488–I/2012 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक .03.2015 को नियत था। पुनरीक्षण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जायें।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 08/06/2015

निवेदक

1– यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरजा प्रताप सिंह परिह

2– यतेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह परिहार, निवासीगण– कचनार तहसील नागौद जिला–सतना (म.प्र.)

.... प्रार्थीगण

द्वारा अभिभाषक

कमलेश कुमार द्विवेदी

Res No 1418-II/15 (बिना संलग्न)

29.7.15	आवेदक अभिभावक श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अभिभावक ने प्रकरण को आगे संचालित नहीं करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभावक के अनुरोध अनुसार प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	H.K. [signature] 29.7.15